

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 13.01.2023**

**थाना कटराबाजार के एन0डी0पी0एस0 एक्ट में वांछित 25,000/- हजार का इनामिया अभियुक्त अपने 03 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार, कब्जे से 04 किलो 550 ग्राम अवैध गाँजा बरामद-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुरस्कार घोषित/गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। जिसके क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस व एस0ओ0जी0 टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 13.01.2023 को थाना कोतवाली नगर पुलिस व एस0ओ0जी0 टीम रात्रिगस्त को दौरान अभियुक्तगण 01. शमशाद अली उर्फ मुन्ना 02. नवनीत गोस्वामी 03. अविनाश गोस्वामी 04. अंसार अहमद को गिरफ्तार कर जमातलाशी में 04 किलो 550 ग्राम अवैध गाँजा बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना को0नगर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। अभियुक्त शमशाद अली उर्फ मुन्ना थाना कटराबाजार में पंजीकृत मु0अ0स0 560/22 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में वांछित था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने रू0 25,000/- का पुरस्कार घोषित किया था।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. शमशाद अली उर्फ मुन्ना पुत्र वकील निवासी गंगादीनपुरवा मौजा बीरपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. नवनीत गोस्वामी पुत्र रमेश गोस्वामी निवासी कटहरिया मदईया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
03. अविनाश गोस्वामी पुत्र रामअनुग्रह गोस्वामी निवासी कटहरिया मदईया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
04. अंसार अहमद पुत्र इसरार अहमद निवासी दलाल मोहल्ला कस्बा व थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0 33/23, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 04 किलो 550 ग्राम अवैध गाँजा बरामद।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ0नि0 प्रतीक पाण्डेय मय टीम थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
02. एस0ओ0जी0 टीम जनपद गोण्डा।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 13.01.2022**

**नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त दीनानाथ को सोनी गुमटी रेलवे क्रासिंग के पास रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 120 नशीली टेबलेट अल्प्राजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को०नगर में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. दीनानाथ पुत्र नान्हू निवासी बेसियाचैन थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०-34/23, धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना को०नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 120 टेबलेट अल्प्राजोलम।

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ०नि० अंकुर वर्मा मय टीम।

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 13.01.2023**

### **शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### **02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना इटियाथोक पुलिस ने 01, थाना करनैलगंज पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### **अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-**

#### **01. थाना मनकापुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. संतोष कुमार पुत्र कामता प्रसाद निवासी ग्राम झलमल लमती थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 22/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### **02. थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. राजेश सोनकर पुत्र सुरेश सोनकर नि० ग्राम बंधवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर मु०अ०सं०- 11/23, धारा 60/72 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### **03. थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. शोभाराम S/o छेदीलाल ग्राम रसूलपुर खोरहंसा थाना को० देहात के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 20/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 13.01.2022**

**अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब बनाते हुए अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से अपमिश्रित कच्ची शराब, यूरिया, नौशादर बरामदा**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन /अवैध अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बनाते हुए अभियुक्त मझिला व अभियुक्त नन्हके को उनके घर ग्राम महुआडीह से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 ली० अपमिश्रित अवैध शराब मय 500 किलोग्राम यूरिया व 300 ग्राम नौशाद बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना को०मनकापुर में आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्त-**

01. श्रीमती मझिला पत्नी स्व० कर्ताराम सोनकर निवासिनी ग्राम महुआडीह थाना को० मनकापुर जनपद गोंडा
02. नन्हके पुत्र स्व० कर्ताराम सोनकर निवासी ग्राम महुआडीह थाना को० मनकापुर जनपद गोंडा

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०-023/2023 धारा 60,60(2) आबकारी अधि० व 272 भा०द०वि० थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 1 एक प्लास्टिक के पिपिया में करीब 10 ली० अपमिश्रित अवैध शराब
02. 500 किलो ग्राम यूरिया
03. 300 ग्राम नौशादर बरामदा।

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ०नि० अमर सिंह मय टीमा